न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 436/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– दौलाराम पुत्र रामसुख 2– त्रिलोक राम पुत्र रामसुख 3– चन्द्राराम पुत्र रामसुख 4– बादरराम पुत्र रामसुख 5– श्रीमती कमली पत्नी पोकरराम 6– कैलाश पुत्र अमराराम सभी जातियान जटिया निवासीगण गांव कालाऊना तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर		1- केसाराम पुत्र उम्मेदाराम 2– मुनीराम पुत्र उम्मेदाराम जातियान जटिया निवासीगण ग्राम जसनगर तहसील जैतारण, जिला पाली 3– सोहनलाल पुत्र उम्मेदाराम 4– कमला देवी पुत्री उम्मेदाराम 5– श्रीमती जसोदा पत्नी पुखराज 6– खेमचंन्द पुत्र पुखराज 7– नौरतन पुत्र पुखराज 8– नरसिह पुत्र पुखराज 9– खींवराज पुत्र पुखराज 10–घनश्याम पुत्र पुखराज 11– धारू पुत्री पुखराज 12– उलासी पुत्री पुखराज 13– संगीता पुत्री पुखराज सभी जातियान जटिया निवासीगण जसनगर तहसील जैतारण, जिला पाली 14– सरपंच ग्राम पंचायत कालाऊना, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2014 अनवान केसाराम वगैरा बनाम दौलाराम वगैरा मे दिनांक 11–4–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री प्रकाश भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री उम्मेद सिह बावरला अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5, 7, 9 व 10 की ओर से ।
3– श्री रमेश भादू रेस्पो0 संख्या 6, 8, 11 से 13 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष नामांतरकरण संख्या 228 ग्राम कालाऊना तहसील बिलाडा स्वीकृति दिनांक 2–8–71 के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कालाऊना स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 140 रकबा 68 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नंबर 143 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सहखातेदार उनके पिता उम्मेदा पुत्र बुधा कौम जटिया सा0 कालाऊना थे, जिनके प्रथम श्रेणी के वारिसान मे 4 पुत्र एव 1 पुत्री होते हुए खातेदार उम्मेदा के फोते होने पर फोतेदगी के नामांतरकरण मे उसके हिस्से की

अति0 सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

भूमि उसके उतराधिकारी के रूप मे उसके सगे भाई रामसुख पुत्र बुधा के नाम दर्ज करते हुए सरपच ग्राम पंचायत कालाऊना द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच किये तथा मृतक के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वीकृत कर दिया, जिससे मृतक खातेदार उम्मेदा के विधिक वारिसान को उनके जायज अधिकारो से वंचित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण दर्ज कर बाद पक्षकारान की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 228 पर ग्राम पंचायत कालाऊना द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 2–8–1971 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को रिमाण्ड कर आदेशित किया कि अपीलाधीन भूमि मे स्व0 उम्मेदाराम के कानूनी उतराधिकारियो की जांच कर सभी को सुनवाई का अवसर देते हुए स्व0उम्मेदाराम के हिस्से की भूमि मे पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–4–2016 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1971 से पूर्व से अपीलांटगण एवं इनके पूर्वज का कब्जा काश्त चला आ रहा था जिसके कारण ही नामांतरकरण अपीलांट के पूर्वज के नाम स्वीकार किया गया था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रत्यर्थी एवं उनके पूर्वजो ने वादग्रस्त जमीन मे अपने हक हिस्से का बेचान अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 29–7–89 को 4500/– मे करना तथा अपीलांट बादरराम वगैरा को कब्जा सुपुर्द करने का एक इकरार किया तथा उक्त इकरारनामे का स्टाम्प रेस्पो0 केसाराम स्वयं के हस्ते खरीदा गया था तथा रेस्पो0 केसाराम व मुनीराम स्वयं के बेचान इकरारनामे पर अंगूठा निशानी सहमति स्वरूप की हुई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण की ओर से उनके पक्ष मे किये गये बेचान इकरार की पालना करवाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय ए.सी.जे. एम. बिलाडा मे वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है इसलिए पक्षकारान के अधिकार तो उक्त वाद के निर्णय से ही तय होने है तथा उक्त वाद के न्यायालय

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो वर्ष 1971 मे स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने वर्ष 2014 मे लगभग 43 वर्षो के विलंब से अपील प्रस्तुत की थी तथा उक्त विलंब का कोई युक्तियुक्त या सद्भाविक कारण नही बताये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि नामांतरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिससे प्रत्यर्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही हाते है । वकील अपीलांट का कथन है कि प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर राजस्व वाद प्रस्तुत नही किया है जबकि अपीलार्थी की ओर से राजस्व वाद एवं सिविल वाद दोनो ही प्रस्तुत कर रखे है, जो सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है । जिसके निर्णय से ही अपीलाधीन भूमि पर हक अधिकार तय होने है इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण मे वर्णित भूमि के सह खातेदार उम्मेदाराम पुत्र बुधाजी थे जो रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पिता थे इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 से 4 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान अनुसार उम्मेदारामजी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होते हुए सह खातेदार उम्मेदाराम के फोत होने पर उसके खातेदारी भूमि के संबंध मे दायर किये गये म्युटेशन संख्या 228 मे मृतक उम्मेदा के स्थान पर रेस्पो0गण का नाम उतराधिकारी के रूप मे दर्ज नही कर मृतक उम्मेदा के भाई रामसुख पुत्र बुधा को उम्मेदा का सगा भाई एवं उतराधिकारी बताते हुए दर्ज कर संरपंच ग्राम पंचायत कालाऊना ने भी मृतक उम्मेदा के विधिक वारिसान की जांच करवाये बिना स्वीकृत कर दिया इसलिए उक्त म्युटेशन प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था इसलिए ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु लागू नही होता है तथा कथन किया कि जैसे ही उक्त म्युटेशन संख्या 228 की जानकारी हुई तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन को निरस्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 228

स्व0उम्मेदाराम के हिस्से की भूमि मे पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करने के जो आदेश पारित किये गये है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया था जो खारीज भी हो चुका है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर प्रारंभ से ही कब्जा काश्त रेस्पो0गण का चला आ रहा है इसलिए अपीलांट यदि उक्त भूमि पर अपना हक अधिकार होना मानते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे अपने कब्जे के आधार पर वाद दायर करना होगा, जो नही किया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांट की ओर से अपील पेश करने के बाद स्पेशिक परफोरमेन्स का एक दावा पेश किया है, जो उम्मेदाराम जी की मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया है तथा यह भी कथन किया कि ऐसा दावा केवल खातेदार के विरूद्ध ही लाया जा सकता है जबकि रेस्पो0गण अभी खातेदार नही बने है इस आधार पर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा खारीज योग्य है ।

अंत मे वकील रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा रेस्पो0गण के अधिवक्ता ने उनकी बहस के समर्थन मे आर.आर. टी. 2013 (1) पेज 473, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1284 एवं आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1294 की निर्णय नजीरें प्रस्तुत की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 228 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत उक्त निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने नामांतरकरण संख्या 228 ग्राम कालाऊना स्वीकृति दिनांक 2–8–1971 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–7–2014 लगभग 43 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे विलंब से अपील प्रस्तुत करने का कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही किया हुआ होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने 43 वर्ष के विलंब को बिना विवेचन दिये अंदर मयाद सुमार करने का जो आदेश पारित किया है,वह विधिसम्मत नही माना जा सकता है जबकि धारा 5 परिसीमा अधिनियम मे विहित

आदेश 21 के उपबंधो मे से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

वर्तमान अपील मे भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है, प्रार्थना पत्र मे जो Delay condone का कारण दर्शाया है, उसमे विश्वसनीयता व ठोस आधार प्रतीत नही होता है वरन् काल्पनिक बातो का सहारा लिया जाना दृष्टिगोचर होता है । **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

उक्त अपील मे 43 वर्ष पुराने नामांतरकरण की अपील की जाकर खातेदारी अधिकार खातेदारी अधिकार हेतु प्रयास किया गया है जो न्यायसंगत विधिक प्रक्रिया नही है । नामान्तकरण के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी सम्पति का अधिकार, स्वामित्व या हित सृजित नही होता है, यह केवल वित्तिय उदेश्य के लिए है। खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर चाराजोही की जानी चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय मे नामांतरकरण अपील के जरिये उक्त अधिकार को चाहा जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है ।

उक्त अपील मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित sufficient cause नही पाया जाता है जिसके आधार पर 43 वर्ष के लंबे Delay को condone किये जाने का कोई ठोंस आधार उत्पन्न हो। चूंकि नामांतरकरण की प्रकिया एक वित्तिय उदेश्य संबंधी कार्यवाही है जिसके आधार पर सम्पति के अधिकार एवं स्वामित्व सृजित नही होते है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1996 S.C. 2823 : 1996 (7) JT SC 580 मे प्रतिपादित किया गया है कि–

"Mutation of a property in the revenue record does not create or extinguish title nor has it any presumptive value on title. It only enables the person in whose mutation is ordered to pay the Land revenue in question."

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2016 निरस्त किया जाकर ग्राम कालाऊना का नामांतरकरण संख्या 228 स्वीकृति दिनांक 2–8–1971 को बहाल रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर